



## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प.)

### :: नीलामी विज्ञाप्ति ::

क्रमांक: ६६२ / दो-१२-१२/७८(केंटीननीलामी),

रायसेन, दिनांक २५ / ०३ / २०१९

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय भवन परिसर रायसेन स्थित केंटीन के संचालन हेतु वर्ष २०१९-२० के लिए ठेका दिया जाना है। अतएव इक्षुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हों वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नजारत अनुभाग रायसेन में विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से ०७ दिवस के अंदर कार्यालय समय में उपस्थित होकर निम्न शर्तों का पालन करते हुए अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### :: शर्तें ::

- १— निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार एग्रीमेंट स्टाम्प पर तीन दिन के अंदर देना होगा।
- २— केंटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में २३ गुणा ३० फीट के आधार की दी जायेगी।
- ३— ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से ३१.०३.२०२० तक होगी।
- ४— केंटीन में सफाई आदि न होने पर खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि ग्राहक से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने परपर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसत्त की जावेगी।
- ५— प्राप्त निविदा में जो निवदा अधिकतम होगी उसे स्वीकृत किया जावेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकमुश्त अदा करनी होगी।
- ६— केंटीन में जो खाद्य सामग्री विक्रय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- ७— ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- ८— निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रुपये ५००/- (पाँच सौ रुपये मात्र) नगद नजारत अनुविभाग में जमानता के रूप में जमा करना होंगे। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से हन्कार करेगा तो उसकी जमानता की राशि राजसत्त कर ली जावेगी। बिना जमानता राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- ९— निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से ०७ दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम ४.००. बजे तक जिला नाजिर द्वारा ग्राप्त किये जावेगी। हसके पश्चात प्राप्त निविदा विवार योग्य नहीं होंगे।
- १०— केंटीन संचालन हेतु वर्ष २०१९-२० के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तृत्व होगा कि वह केंटीन की साफ सफाई रखेगा। आज दिनांक २३.३.१९ को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञाप्ति जारी की गई।

(संभुव कुमार सरेया)  
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 रायसेन

पृष्ठा का / ६६३ / दो-१२-१२/७८(केंटीननीलामी),  
यथा निर्देश प्रतिलिपि :-

रायसेन, दिनांक २५ / ०३ / २०१९.

- १— प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञाप्ति सार्वजनिक स्थल बसस्टैंड, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाध्यक्ष एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर चर्चपांडी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- २— जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञप्ति स्थानीय समावार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

१०३८

✓ ३- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि निलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित बेबसाईट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करे।

४- लेखापाल/देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते- जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

क्रमांक: ६५८ / दो-१२-१२/७८(केंटीननिलामी) नीलामी विज्ञाप्ति रायसेन, दिनांक २६/०३/२०१९

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय अधिकारी परिसर बैगम्पाज रिथित केंटीन के संचालन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए ठेका दिया जाना है। अतएव इच्छुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हों वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नजारत अनुमाग रायसेन में विज्ञाप्ति प्रकाशन की दिनांक से ०७ दिवस के अंदर कार्यालय समय में उपरिभत होकर निम्न शर्तों का पालन करते हुए अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं।

### शर्तें :

- निविदा रवीकृत होने पर निर्धारित ग्राहक के अनुसार ऐग्रीट रटाम्य पर तीन दिन के अंदर देना होगा।
- केंटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में 23 गुणा 30 फीट के आधार की दी जायेगी।
- ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.3.2020 तक होगी।
- केंटीन में सफाई आदि न होने पर खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि प्राप्त से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने परपर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसात की जावेगी।
- प्राप्त निविदा में जो निवादा अधिकतम होगी उससे स्वीकृत किया जायेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकगुणत अदा करनी होगी।
- केंटीन में जो खाद्य सामग्री विक्रय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रुपये 500/- (पौंच सौ रुपये मात्र) नगद नजारत अनुविधान से जमानत के रूप में जमा करना होगा। निविदा स्वीकृत होने के यश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से इन्कार करेगा तो उसकी जमानत की राशि राजसात कर ली जायेगी। इन्ह जमानत राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से ०७ दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम ५.०० बजे तक जिला नाजिर द्वारा प्राप्त किये जायेगी। इसके यश्चात प्राप्त निविदा विचार योग्य नहीं होंगे।
- केंटीन संचालन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह केंटीन की साफ सफाई रखेगा। आज दिनांक २३.३.१९ को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञाप्ति जारी की गई।

(संजीव कुमार सरेया)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन

पृष्ठांक. / ६५९ / दो-१२-१२/७८(केंटीननिलामी), निर्देश प्रतिलिपि:

रायसेन, दिनांक २६/०३/२०१९

- प्रमारी अधिकारी नजारत अनुमाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञाप्ति सार्वजनिक स्थल बस्टेंट, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाधाक्ष एवं सार्वजनिक स्थल पर चालांगी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का काट करें।
- जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञाप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का काट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का काट करें।
- सिर्वल्मुओफिसर, कम्प्यूटर, अनुमाग कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि नीलामी विज्ञाप्ति को मानीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करे।

- ४— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, न्यायालय बेगमगंज की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।  
५— लेखापाल / देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्ते—~~जिला~~ एवं सत्र न्यायाधीश  
रायसेन